Chap-1

प्रथम अध्याय

विषय प्रवेश एवं शोध कार्य का आयोजन

*

:

:

:

:

:

:

:

:

1 विषय प्रवेश

2 शोध विषय

3 शोध की आवश्यकता

4 विषय का विश्लेषण

5 शोध कार्य का कार्यक्षेत्र एवं सीमा निर्धारण

6 शोध-कार्य में प्रयुक्त पारिभाषिक शब्दों का विवरण

7 शोध कार्य के विशेष उद्देश्य

8 शोध कार्य का आयोजन

9 निष्कर्ष

सहायक ग्रंथ सूची

विषय प्रवेश :

भारत बहु भाषा देश है । सँविधान में निर्धारित यहाँ की 14 भाषाएँ प्रयोजन की दृष्टि से समान मानी गयी है । भिन्न भिन्न प्रान्तों के व्यक्ति आपस में मिलकर विचारों का आदान प्रदान करना है तो उनके बीच में एक साधारण भाषा एवं संपर्क भाषा की आवश्यकता होती है । उस संपर्क भाषा में राष्ट्र की एकता निर्भर क रहती हैं । प्रत्येक स्वतंत्र देश में एकता का निर्माण संपर्क भाषा के द्वारा ही होता है । इसके अनुसार हिन्दी भारत की राष्ट्रभाषा ही नहीं बल्कि संपर्क भाषा भी है ।

सँविधान के इस निर्णय के अनुसार हिन्दी भाषा भाषी को हिन्दी को प्रथम भाषा के रूप में और अहिन्दी भाषा भाषी को इसको द्वितीय भाषा के रूप में अध्ययन करना पड़ता है । यह उनके लिए नितान्त आवश्यक है ।

अतः दक्षिण भारत के लोग हिन्दी का अध्ययन द्वितीय भाषा के रूप में करते हैं । वास्तव में देखा जाये तो दक्षिण भारत में प्रप्रथम महाराष्ट्र के सन्तों ने अपने धार्मिक विचारों को हिन्दी के द्वारा प्रकट करते हुए इसका प्रचार एवं प्रसार किया । इसलिए हिन्दी के प्रचार में सन्तों का बहुत कुछ योगदान रहा है ।

इसके बाद में मुसलमानों के दक्षिण में प्रवेश होते ही इस प्रचार को अधिक बल मिला है । सूफी सन्तों ने दक्खिनी, को जो खड़ी बोली का एक रूप है, अपने धर्म प्रचार का साधन बनाया । दक्षिण पर अलाउद्दीन के सेनापति

मलिक काफूर एवं महम्मद तुगलक के आक्रमण से कई लोगों के सैनिकों के संपर्क में हिन्दी सीखें और यहाँ पर घायल सैनिक बस गये हैं । हिन्दी भाषा का प्रचार एवं उत्तर दक्षिण के बीच भाषा संपर्क एवं भावैक्यता में यह एक श्रृंखला बनकर रह गई ।

अंग्रेजी शासन काल में तो हिन्दी का प्रचार दक्षिण में देश भक्ति की भावना से प्रेरित हुआ और जनता हिन्दी सीखने को स्वतंत्र संग्राम का एक भाग समझने लगी । अंग्रेजी शासन काल में भाषा नीति स्पष्ट थी । अंग्रेजी भाषा के प्रचार एवं प्रसार के लिए उस समय के शासकों ने भरसक प्रयत्न किया । भारतीय भाषाओं के प्रचार में अंग्रेजी शासकों से जो कुछ भी प्रयत्न हुआ, वह केवल नाम मात्र ही था ।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में अन्य समस्याओं के साथ-साथ भाषा समस्या ने भी यहाँ एक प्रमुख रूप धारण किया । सँविधान के अनुसार 26 जनवरी, 1950 से देवनागरी लिपि में हिन्दी भारत सरकार की राज-भाषा बनी । क्योंकि भारत सरकार के कार्यालयों से अंग्रेजी भाषा को एकदम हटाना और उसकी जगह हिन्दी के प्रयोग को प्रारंभ करना व्यावहारिक न था इसलिए सँविधान में यह भी प्रावधान किया गया कि 1965 तक अर्थात् सँविधान के लागू होने के 15 वर्ष बाद तक अंग्रेजी भाषा का प्रयोग चलता रहेगा ।(1)

परंतु जब 1965 के बाद केन्द्र सरकार हिन्दी के अनिवार्य शिक्षण पर कदम उठाने लगी तब तमिलनाडु में हिन्दी के विरोध में आन्दोलन शुरु

हुआ, जिसके फलस्वरुप वहाँ के लोगों को यह आश्वासन दिया गया कि हिन्दी को जबतक अहिन्दी भाषा भाषी न चाहेंगे तबतक उनके सिर पर बलपूर्वक इसको थोपा न जायेगा । इस प्रकार हिन्दी को अनिश्चित काल तक वनवास प्राप्त हुआ ।

इतना होते हुए भी केन्द्रीय सरकार हिन्दी के प्रचार एवं प्रसार के लिए भरसक प्रयत्न कर रही है । हिन्दी प्रचार संस्थाओं को अनुदान, पाठशालाओं एवं विश्वविद्यालयों में अहिन्दी छात्रों को प्रोत्साहन देने हेतु छात्रवृत्तियाँ, शोधकर्ताओं को हिन्दी प्रदेशों के भ्रमण के लिए आर्थिक सहायता और हिन्दी अध्यापकों के लिए विशेष अनुदान भी प्राप्त होता है । ये सभी सुविधाएँ आन्ध्र प्रदेश सरकार को भी प्राप्त हैं ।

आन्ध्र प्रदेश सरकार ने त्रिभाषा-सूत्र को भाषा-नीति के रूप में अपनाया हैं । नवम्बर, 1956 में जब आन्ध्र प्रदेश की स्थापना हुई तब मद्रास सरकार के अन्तर्गत प्रशासित आन्ध्र प्रान्त तेलंगाना में आकर मिला और आन्ध्र प्रदेश रूपी विशाल तेलुगु प्रदेश बना ।

आन्ध्र प्रदेश का शिक्षा विधान, इसके अंतर्गत आनेवाले तीन प्रान्तों अर्थात् आन्ध्र, तेलंगाना तथा रायलसीमा के लिए समान है । इन तीनों प्रान्तों की पाठशालाओं की अन्तिम परीक्षा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सम्पन्न होती है ।

आन्ध्र के छात्र अन्य विषयों की तुलना में हिन्दी विषय में कमज़ोर हैं । आन्ध्र प्रान्त के छात्र माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की एस0 एस0 सी0 परीक्षा अप्रैल, 1969 से लेकर अप्रैल, 1977 तक के हिन्दी परिणाम अन्य प्रान्तों की

की तुलना में बहुत ही कम हैं ।

इसको आधार बनाकर शोधकर्ता ने आन्ध्र प्रान्त में पढ़ानेवाले हिन्दी अध्यापकों को एक प्रश्नावली भेजी और आन्ध्र प्रान्त के आठ जिलों के 960 छात्रों को प्रतिचयन के रूप में लेकर भाषा उपलब्धि-परीक्षण सम्पन्न करने से छात्रों का औसत प्रतिशत केवल (15·7) रहा । हिन्दी में पिछड़े हुए छात्र तथा छात्राओं के मौखिक साक्षात्कार ने भी उपर्युक्त धारणा का समर्थन किया है ।

यह कमज़ोरी तेलंगाना छात्रों में इसीलिए नहीं है कि इन छात्रों पर मुसलमान शासन का प्रभाव रहा है और छात्रों पर उर्दू का प्रभाव पूर्ण रूप से दिखाई पड़ता है । यहाँ के छात्र उर्दू का व्यवहार यथेष्ट करते हैं । इन छात्रों को हिन्दी ध्वनियों का परिचय अच्छी तरह प्राप्त हैं । इसलिए इन्हें हिन्दी सीखने में उतनी कठिनाई नहीं होती जितनी आन्ध्र के छात्रों के लिए होती है, जिनके अनेक कारण हो सकते हैं ।

आन्ध्र प्रान्त में हिन्दी का प्रचार एवं प्रसार जनवरी सन् 1918 से प्रारंभ होने पर भी यहाँ के छात्रों का हिन्दी विषय में पिछड़े होना चिन्ताजनक बात है ।(2)

आन्ध्र के पाठशालाओं में हिन्दी को एक अनिवार्य विषय बनाने पर भी छात्र हिन्दी सीखने में पिछड़े हुए हैं । यह एक सोचनीय बात हैं । शिक्षा के क्षेत्र में यह एक बड़ी समस्या है, जिसको सुलझाना हिन्दी स्तर में वृद्धि करना ही नहीं बल्कि आन्ध्र प्रदेश के संपूर्ण शिक्षा प्रणाली के विकास में योगदान देना भी है ।

सरकार के अथक परिश्रम एवं हिन्दी प्रचार संस्थाओं के यथोचित प्रचार के बाद भी आन्ध्र प्रान्त के छात्रों की हिन्दी प्रगति में विकास न होना शिक्षा पर देश के धन का दुरुपयोग करना मात्र ही होगा ।

आन्ध्र प्रान्त के छात्रों द्वारा हिन्दी में संभावित स्तर प्राप्त नहीं करने का उनकी साधारण योग्यता पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है । छात्रों की इस स्थिति से सरकार ने एस0 एस0 सी0 परीक्षा में हिन्दी विषय में उत्तीर्ण होने के लिए केवल 20% अंक प्राप्त करना अनिवार्य बनाया, पर इन अंकों को कुल अंकों में न जोडने का आदेश दिया ।[3] यह नीति न केवल हिन्दी छात्रों को हिन्दी पढ़ने की ओर निरुत्साहित करती है बल्कि हिन्दी अध्यापकों को भी प्रोत्साहन नहीं देता है । आन्ध्र प्रान्त के छात्रों के उत्तीर्ण प्रतिशत में कुछ मात्रा में वृद्धि हो सकती हैं परन्तु उनके हिन्दी के ऊँचा स्तर को ऊँचा करने में यह आदेश घातक सिद्ध होगा । शोधकर्ता ने इसको एक महत्वपूर्ण विषय समझा है । आन्ध्र के छात्रों को हिन्दी सीखने में कौन कौन सी समस्याएँ हैं ? और इन समस्याओं के निवारण में उनको किन-किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, इस विषय को गंभीरता से अध्ययन करके छात्रों के सामने आनेवाली कठिनाइयों को दूर करने में अपना सुझाव देना ही इस शोधकार्य का प्रधान उद्देश्य है ।

2 शोध विषय :

"आन्ध्र प्रान्त के आठवीं कक्षा के तेलुगु भाषा भाषी छात्रों के हिन्दी अधिगम सम्बन्धी समस्याओं एवं कठिनाइयों का शोधपूर्ण अध्ययन" ।

3 शोध की आवश्यकता :

। हिन्दी भाषा का हमारे राष्ट्रीय जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान है । भारत सरकार और प्रादेशिक प्रशासन गत पच्चीस वर्षों से हिन्दी भाषा के प्रचार एवं प्रसार में प्रयत्नशील हैं, परन्तु राष्ट्रभाषा के क्षेत्र में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल न हो सके । विभिन्न प्रशासनों, अध्यापकों और अनुसंधान संस्थाओं के सामने यह समस्या एक चुनौती है । राजनैतिक स्तर पर इस समस्या के समाधान को खोजने का भरसक प्रयत्न जारी है, परंतु आजतक का अनुभव हमें यह बताता है कि भाषा समस्या राजनीति का विषय नहीं हो सकती । यह शिक्षा की समस्या है । शैक्षिक उपचारों से ही यह समस्या सुलझायी जा सकती है । इस दृष्टि से शिक्षा में भाषा शिक्षण का महत्व-पूर्ण स्थान है । भाषा शिक्षण में छात्रों के सामने आनेवाली कठिनाइयाँ और व्याघात का निवारण छात्रों को भाषा सीखने में प्रोत्साहन देता है और जब छात्र हिन्दी को रुचि के साथ सीख लेते हैं तो हमारे सामने राष्ट्र भाषा की समस्या का प्रश्न जागृत नहीं होता है ।

2 आन्ध्र प्रान्त (सरकार जिलें) के छात्रों को दृष्टि में रखकर आन्ध्र प्रदेश सरकार समय समय पर हिन्दी के उत्तीर्णांकों को घटाती जा रही है । हिन्दी सीखने में आन्ध्र प्रान्त के छात्रों के सामने आनेवाली कठिनाइयों को पहचानने के अतिरिक्त एस0 एस0 सी0 परीक्षा में हिन्दी के उत्तीर्णांकों को घटाना शैक्षिक दृष्टि से अनुचित, एवं अमनोवैज्ञानिक कार्य है । आन्ध्र प्रान्त के छात्र सरकार की इस नीति से हिन्दी अध्ययन की ओर ध्यान नहीं देते हैं । इससे हिन्दी के प्रति छात्रों की अरुचि और भी बढ़ती है । आन्ध्र के छात्रों का

हिन्दी में पिछड़े होना सरकार के लिए एक समस्या बन गई है । इस शोध कार्य के द्वारा इस समस्या का समाधान ढूँढने का प्रयत्न किया गया है ।

3 शोधकर्ता अपने शैक्षिक अनुभव एवं आन्ध्र प्रान्त के अनुभवी हिन्दी अध्यापकों से भेंट-वार्ता करके इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि आठवीं कक्षा के स्तर पर छात्रों का हिन्दी में पिछड़ा होना भी एस० एस० सी० परीक्षा के हिन्दी विषय में अनुत्तीर्ण होने का एक कारण है । अतः शोधकर्ता ने इस स्तर पर छात्रों के सामने आनेवाली समस्याओं तथा तत् सम्बन्धी कठिनाइयों को जानना आवश्यक समझा है ।

4 आन्ध्र प्रदेश में पाँचवीं कक्षा से लेकर दसवीं कक्षा तक हिन्दी अनिवार्य है । तेलुगु भाषा-भाषी छात्रों को यह द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ाई जाती है । इस विषय में अनुत्तीर्ण होने का प्रभाव शिक्षा के साधारण स्तर पर भी पड़ता है । इसलिए शिक्षा के स्तर को उठाने में यह शोध विषय प्रमुख स्थान रखता है ।

5 सरकार एवं हिन्दी प्रचार सभाओं के सतत प्रयत्नों पर भी आन्ध्र प्रान्त के छात्रों का हिन्दी में अनुत्तीर्ण होना सरकार के धन का दुरुपयोग ही है । इसलिए सरकार को इस व्यय से बचाने में यह शोध कार्य अपना समुचित स्थान रखता है ।

4 विषय का विश्लेषण :

शोधकर्ता की यह आकांक्षा है कि विषय का विश्लेषण भली प्रकार से किया जाए । "आन्ध्र प्रान्त (सरकार जिलों) के आठवीं कक्षा के तेलुगु

भाषी छात्रों के हिन्दी अधिगम संबंधित समस्याओं एवं कठिनाइयों का शोधपूर्ण अध्ययन्" करना शोधकर्ता का उद्देश्य है । भारत में हिन्दी भाषा भाषी प्रदेशों की अपेक्षा अहिन्दी भाषा भाषी प्रदेशों की संख्या अधिक है, भले ही इस भाषा को बोलने, समझनेवालों की संख्या भारत में अत्यधिक है । शोधकर्ता ने इस विषय की सत्यता और वैधता को दृष्टि में रखकर आन्ध्र प्रदेश के एक क्षेत्र को जो "आन्ध्र प्रान्त" (सरकार जिले) कहलाता है, शोध के विषय क्षेत्र के रूप में चुन लिया है । इस प्रान्त में आठवीं कक्षा के स्तर पर हिन्दी भाषा अधिगम (Learning) के समय तेलुगु छात्रों के सामने आनेवाली कठिनाइयों पर ही विशेष ध्यान दिया गया है । इसलिए शोधकर्ता ने द्वितीय भाषा हिन्दी अध्ययन पर अधिक ध्यान दिया है । किसी भी देश के छात्रों को अपनी मातृभाषा को सीखना जितना सरल एवं स्वाभाविक हैं उतना द्वितीय भाषा को सीखना संभव नहीं है । क्योंकि द्वितीय भाषा सीखना एक कृत्रिम कार्य है जिसके लिए निरन्तर अभ्यास एवं वातावरण की आवश्यकता होती है । द्वितीय भाषा सीखते समय छात्र को जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है उतना प्रथम भाषा सीखने में नहीं । यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य भी है । इस उद्देश्य से शोधकर्ता ने आन्ध्र प्रान्त के तेलुगु भाषाभाषी छात्रों को अपने शोध कार्य के अन्तर्गत लिया है । इस प्रकार के सीमित शोध से विषय की गंभीरता, उसकी विविधता स्पष्ट हो जाती है । इसके बाद प्रत्येक का निदान किया जा सकता है । ऐसा करते समय समस्याओं तथा इससे संबंधित कठिनाइयों का स्पष्ट ज्ञान हो जाता है । इन समस्याओं से कुछ तत्कालिक और कुछ दीर्घकालिक हो सकती हैं, कुछ वैज्ञानिक रूप से अध्ययन का विषय बन सकती है तो कुछ निराधार भी सिद्ध हो सकती है । कहने का तात्पर्य यह है कि विषय का वैज्ञानिक अध्ययन किया जा सकता है और समस्याओं से संबंधित कठिनाइयों का वैज्ञानिक विश्लेषण करने में सुविधा प्राप्त होती हैं ।

5 शोध कार्य का कार्यक्षेत्र एवं सीमा निर्धारण :

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो गया है कि प्रस्तुत शोध विषय का महत्व एवं उपयोगिता क्या है ? इसके साथ साथ शोधकर्ता का यह प्रमुख कर्तव्य हो जाता है इसका उल्लेख करें कि प्रस्तुत शोध कार्य का कार्य क्षेत्र तथा सीमा निर्धारण किस प्रकार किया गया है ।

(1) शोधकर्ता ने आन्ध्र प्रदेश का एक क्षेत्र "आन्ध्र प्रान्त" (सरकार जिलों) को अपने क्षेत्र का कार्य-क्षेत्र माना है । आन्ध्र प्रान्त के अन्तर्गत आठ जिले सम्मिलित हैं इनको सरकार जिलें या समुद्र तटीय जिले भी कहते हैं । ये आठ जिलें निम्न प्रकार हैं :- श्रीकाकुलम, विशाखापट्टणम्, पूर्व गोदावरी, पश्चिम गोदावरी, कृष्णा, गुंटूर, प्रकाशम तथा नेल्लूर हैं । विशेष जानकारी के लिए आन्ध्र प्रदेश का रेखाचित्र (।०) पृष्ठ पर देखें ।

(2) आन्ध्र प्रान्त के सरकारी, जिला परिषद्, म्युनिसीपालिटी, निजी पाठशालाओं में पढ़नेवाले 8 वीं कक्षा के 960 तेलुगु मातृभाषा भाषी छात्रों को भाषा उपलब्धि परीक्षण एवं 320 कमज़ोर छात्रों का मौखिक साक्षात्कार का आधार माना है ।

(3) इस शोध कार्य में शैक्षिक क्षेत्र प्रमुख हैं । आन्ध्र प्रान्त के विभिन्न पाठशालाओं के आठवीं कक्षा के तेलुगु भाषा भाषी छात्र जो हिन्दी को द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ते हैं उनको

ANDHRA PRADESH

(With District boundaries)

आन्ध्र प्रदेश

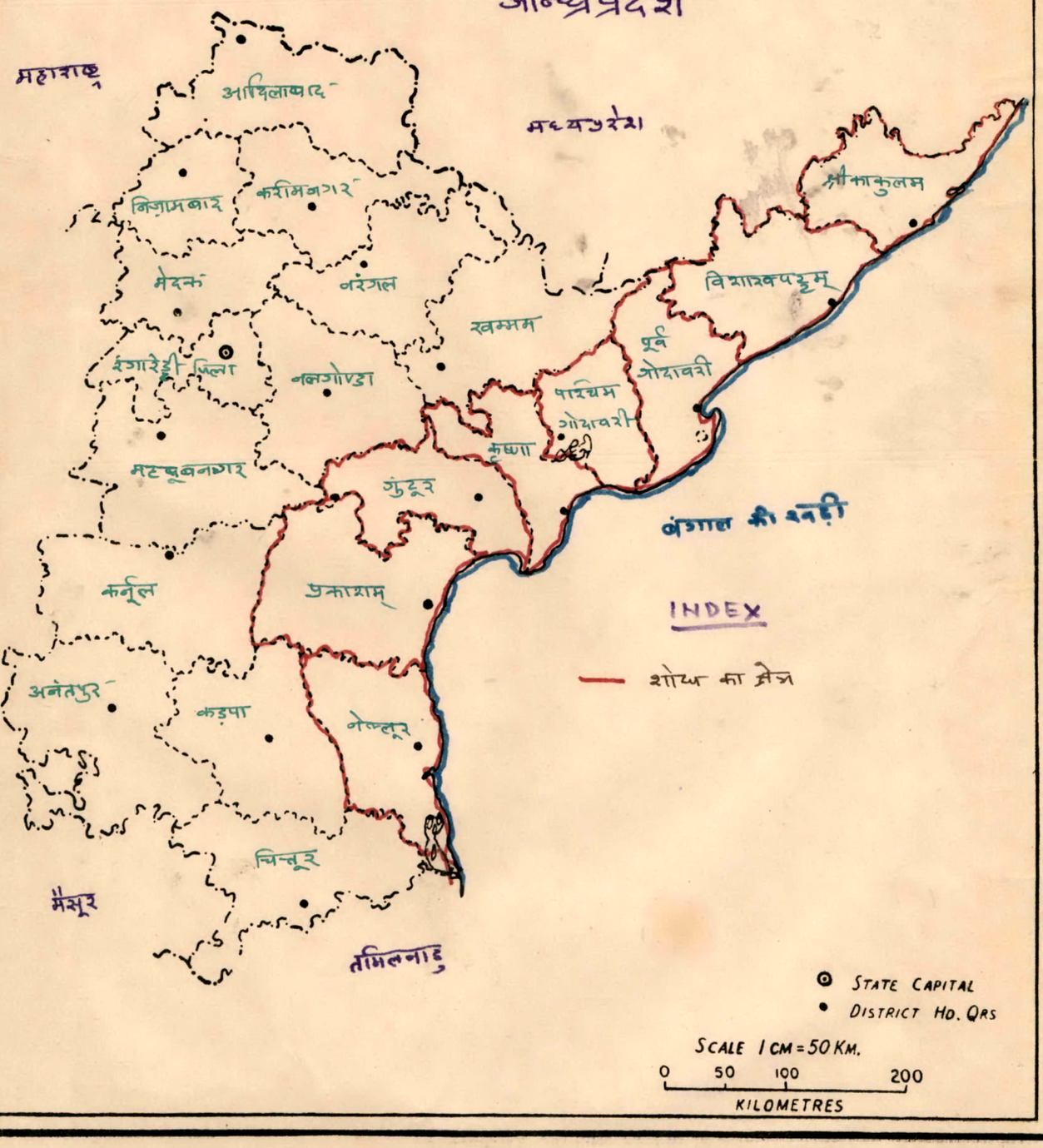

ही इस शोध में स्थान दिया गया है । यह शोधकार्य उनसे मुक्त हैं जो छात्र हिन्दी भाषी प्रान्तों से आकर आन्ध्र प्रान्त में बस गये हैं ।

(4) इस शोध कार्य में 8 वीं कक्षा के छात्रों के हिन्दी भाषा अधिगम की समस्याओं तथा इनसे संबंधित कठिनाइयों का शोधपूर्ण अध्ययन किया गया है ।

6 शोधकार्य में प्रयुक्त पारिभाषिक शब्दों का विवरण :

किसी भी शोधकार्य में विषय को स्पष्ट करने में पारिभाषिक शब्दों का महत्वपूर्ण स्थान है । कारण यह है कि किसी भी अमुक शब्द का अर्थ साधारण रूप में एक होता है तो विशिष्ट रूप में दूसरा । कभी कभी संदर्भ के अनुसार उस अर्थ में अपकर्ष भी हो सकता है । इसलिए शोधकर्ता ने अमुक शब्द को शोधकार्य में किस अर्थ में प्रयोग किया है । इसका स्पष्टीकरण करना यहाँ अपना कर्तव्य समझा है ।

प्रस्तुत शोधकार्य में प्रयुक्त परिभाषिक शब्दों का विवरण निम्न प्रकार है ।

(अ) आन्ध्र प्रान्त : (सरकार जिलें) आन्ध्र प्रदेश का एक क्षेत्र हैं जिसमें आठ जिलें हैं जिसको 'आन्ध्र प्रान्त' या 'सरकार जिलें' भी कहते हैं । 'आन्ध्र प्रान्त' के जिलें इस प्रकार हैं :- श्रीकाकुलम, विशाखापट्टणम, पूर्व गोदावरी, पश्चिम गोदावरी, कृष्णा, गुंटूर, प्रकाशम और नेल्लूर ।

48

(आ) आठवीं कक्षा :- आन्ध्र प्रान्त के उच्च माध्यमिक स्तर की प्रथम कक्षा ।

(इ) तेलुगु भाषी छात्र : वे छात्र जो आन्ध्र प्रान्त में रहते हैं और जिनकी मातृभाषा तेलुगु हैं । यह शोध विषय उनसे मुक्त हैं जो छात्र हिन्दी प्रदेशों से आकर आन्ध्र प्रान्त में बस गये हैं । 'छात्र' शब्द का प्रयोग बालक तथा बालिकाओं के लिए भी प्रयुक्त है ।

(ई) हिन्दी अध्ययन : इसके अंतर्गत छात्रों के हिन्दी अधिगम अर्थात् सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, आदि कौशल आते हैं । इस शोधकार्य में लेखन कौशल पर अधिक प्रकाश डाला गया है । 'सुनना' 'बोलना', तथा पढ़ना आदि कौशलों को गौण रूप में लिया गया है । इस शोध कार्य में हिन्दी अधिगम के सहायक साधनों - पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, शिक्षण विधि, सहायक सामग्री, हिन्दी अध्यापक तथा मूल्यांकन पर भी प्रकाश डाला गया है । इसलिए कि भाषा अध्ययन में इनका अपना विशेष स्थान है ।

(उ) समस्याएँ एवं कठिनाइयाँ :

इस शोधकार्य में आठवीं कक्षा के तेलुगु भाषी-छात्रों की हिन्दी अधिगम सम्बन्धी कठिनाइयों एवं तत् सम्बन्धी समस्याओं पर प्रकाश डाला गया है । भाषा अध्ययन में व्याघात पहुँचानेवाली हर एक बाधा एक कठिनाई है । इसको किस प्रकार निवारण करना है यह हमारे लिए एक समस्या है । प्रत्येक समस्या से सम्बन्धित कठिनाइयों तथा उन कठिनाइयों के कारणों को वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन किया गया है ।

7 शोधकार्य के विशेष उद्देश्य :

किसी भी शोध कार्य में उद्देश्य का स्थान प्रमुख होता है । बिना किसी निश्चित उद्देश्यों का शोधकार्य निरर्थक एवं अनुपयोगी होता है । इस दृष्टि से

शोधकर्ता ने प्रस्तुत शोधकार्य में निम्न उद्देश्यों पर विशेष रूप से ध्यान दिया है ।

I. (1) आठवीं कक्षा के तेलुगु भाषा-भाषी छात्रों के हिन्दी अधिगम पर पड़नेवाले विभिन्न प्रभावों का अध्ययन ।

(2) हिन्दी के प्रति सरकार के दृष्टिकोण का अध्ययन ।

(3) हिन्दी के प्रति प्रशासन सम्बन्धी दृष्टिकोण का अध्ययन ।

(4) हिन्दी के प्रति छात्रों के दृष्टिकोण का अध्ययन ।

(5) आन्ध्र प्रान्त के छात्रों के हिन्दी वातावरण समस्या का अध्ययन ।

II 8 वीं कक्षा के छात्रों के भाषा अधिगम सम्बन्धी समस्याओं का अध्ययन ।

(1) हिन्दी शिक्षण के आरंभ की समस्या ।

(2) भाषा कौशल की समस्या का अध्ययन ।

(3) व्याकरण की समस्या का अध्ययन ।

III भाषा-अधिगम के प्रधान साधनों से संबंधित समस्याओं का अध्ययन ।

(1) पाठ्यक्रम समस्या का अध्ययन ।

(2) हिन्दी पाठ्यपुस्तक समस्या का अध्ययन ।

(3) शिक्षण विधि समस्या का अध्ययन ।

(4) सहायक सामग्री समस्या का अध्ययन ।

(5) हिन्दी अध्यापक सम्बन्धी समस्या का अध्ययन ।

(6) हिन्दी मूल्यांकन समस्या का अध्ययन ।

उपर्युक्त प्रमुख समस्याओं के अतिरिक्त इनको जन्म देनेवाले अन्य प्रभावों को भी शोधकर्ता ने गौण रूप से अध्ययन किया है ।

8 शोधकार्य का आयोजन :

विषय से सम्बन्धित सामग्री एकत्रित करने एवं उसका वैज्ञानिक विश्लेषण करने की दृष्टि से उपर्युक्त समस्याओं तथा उनसे संबंधित कठिनाइयों के कारणों को विभिन्न वैज्ञानिक साधनों के द्वारा पहचानने की दृष्टि से शोधकर्ता ने संपूर्ण शोधकार्य का आयोजन निम्न अध्यायों में किया है ।

1	प्रथम अध्याय	.. ..	विषय प्रवेश एवं शोधकार्य का आयोजन ।
2	द्वितीय अध्याय	.. ..	भाषा का महत्व तथा विभिन्न आयोगों में हिन्दी का स्थान ।
3	तृतीय अध्याय	.. ..	आन्ध्र प्रदेश में हिन्दी शिक्षण ।
4	चतुर्थ अध्याय	.. ..	सम्बन्धित क्षेत्र में पूर्वकृत कार्य ।
5	पंचम अध्याय	.. ..	शोध विधि का विस्तार ।
6	षष्ठ अध्याय	.. ..	शोधकार्य से प्राप्त सामग्री का विश्लेषण ।
7	सप्तम अध्याय	.. ..	उपलब्ध सामग्री का शोधपूर्ण अध्ययन ।
8	अष्टम् अध्याय	.. ..	उपलब्धियाँ एवं महत्वपूर्ण सुझाव ।

शोधकार्य का उपर्युक्त आयोजन शोध विषय की सत्यता एवं वैधता को दृष्टि में रखकर किया गया है । उपलब्ध सामग्री को विषय की दृष्टि से क्रम एवं श्रृंखलाबद्ध किया गया है । शोधकार्य को निश्चित दिशा देने में शोधकार्य का आयोजन नितान्त आवश्यक है इसलिए प्रस्तुत शोध प्रबंध की उपर्युक्त रूपरेखा को शोधकर्ता ने प्रस्तुत किया है ।

निष्कर्ष : - इस अध्याय में शोधकर्ता ने विषय का महत्व, शोध की आवश्यकता एवं शोध कार्य में प्रयुक्त विभिन्न पारिभाषिक शब्दों का स्पष्टीकरण वैज्ञानिक ढंग से किया है । इसके साथ ही साथ शोधकर्ता ने शोध के विशेष उद्देश्यों पर प्रकाश डाला है, जो प्रत्येक शोध-कार्य की आत्मा है ।

शोधकार्य का आयोजन विषय का महत्व और समस्या की गंभीरता को दृष्टि में रखकर किया गया है ।

राष्ट्रीय जीवन में हिन्दी भाषा के महत्व को दृष्टि में रखकर अहिन्दी प्रदेशों में एक प्रान्त आन्ध्र प्रदेश में हिन्दी का प्रचार एवं प्रसार होना इसलिए आवश्यक है कि जब तक हिन्दी को अहिन्दी प्रान्त की जनता नहीं सीखेंगी तबतक इसको राष्ट्रभाषा का संपूर्ण रूप नहीं आयेगा । इसलिए इस प्रान्त की जनता को हिन्दी सीखकर भाषा के माध्यम से देश की भावैक्यता में योगदान देना अपना कर्तव्य समझना चाहिए । यह जिम्मेदारी इस प्रान्त के भावी नागरिकों पर ही अधिक मात्रा में निर्भर होने के कारण हिन्दी में पिछडे हुए आन्ध्र प्रान्त या क्षेत्र के छात्र हिन्दी अध्ययन में किन किन समस्याओं एवं उनसे संबंधित कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं इन पर प्रकाश डालना और इनको दूर करके निवारणोपाय बताना इस शोध विषय का उद्देश्य है ।

इस उद्देश्य की पूर्ति करने में हिन्दी का राष्ट्रीय महत्व क्या है और संविधान में हिन्दी का वास्तविक स्थान क्या है इसको जानना आवश्कक है । शोधकर्ता ने राष्ट्रभाषा के वास्तविक रूप का दिग्दर्शन आगामी अध्याय में कराने की चेष्टा की है ।

...

सहायक ग्रन्थ सूची

(1) केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद् : 'प्रशासन में हिन्दी'
सन् 1960-70
पृ0 63

(2) केशवन नायर पी0 के0 : 'दक्षिण भारत के हिन्दी प्रचार आन्दोलन का समीक्षात्मक इतिहास'
हिन्दी साहित्य भण्डार, 1976
पृ0 61

(3) S.S.C (X class) public examination, under the Integrated curriculam March 1969 onwards Scheme approved in G.O.Ms. No. 63 Edn. dt 16-1-1968 certain amendments - Issued.